न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 367 सन् 2012
पंजीयन दिनांक 22.11.2012

1. श्रीचन्द पिता कुन्दनमल जाति सिन्धी निवासी शास्त्री नगर चित्तौडगढ़ मृतक के बजाय–
   1. संजय गुरनानी पिता श्रीचंद गुरनानी निवासी शास्त्री नगर चित्तौडगढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
   2. योगेश पिता संजय गुरनानी निवासी शास्त्री नगर चित्तौडगढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
   3. हितेश पिता संजय गुरनानी निवासी शास्त्री नगर चित्तौडगढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट्गण

विरूद्व

1. उषादेवी पत्नि मधुसुदन रान्दड निवासी शास्त्री नगर चित्तौडगढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 109/2009 रेवेन्यू वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 27.08.2012

उपस्थित– 1. छोगालाल जाट–अधिवक्ता अपीलान्ट
2. चम्पालाल जाट–रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3

निर्णय **दिनांक 29.11.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट वादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट वादी ने रामा,दल्ला पिता चुना गाडरी निवासी ओछडी तहसील चित्तौड़गढ़ से उसके खातेदारी एवं कब्जे काश्त की सेटलमेन्ट पूर्व की आराजी नम्बर 79 1 रकबा 1 बीघा आराजी नम्बर 80 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा आराजी नम्बर 81 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा कृषि आराजीयात मोजा ओछडी तहसील चित्तौड़गढ़ की जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 10.06.1976 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जो अपीलान्ट वादी के खातेदारी मे दर्ज हुआ। तत्पश्चात् मोजा

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ (राज.)

ओछडी तहसील चित्तौड़गढ़ का नवीन भू-प्रबन्ध किया गया। नवीन भू-प्रबन्ध मे नवीन कृषि आराजी नम्बर 470 रकबा 1.05 हैक्टेयर अपीलान्ट वादी के नाम अंकित की गई। जबकि साबिक रकबे के अनुसार नवीन रकबा 1.25 हैक्टेयर बनता है। अपीलान्ट वादी के खाते मे 0.20 हैक्टेयर भूमि भू-प्रबन्ध अधिकारियो ने कम कर दी । अपीलान्ट वादी की कृषि आराजीयात के उत्तर दिशा के पडौसी खातेदार भंवरलाल पिता भोलीराम किशनलाल पिता शंकरलाल ब्राह्म्‌ण निवासी ओछडी के खातेदारी व आधिपत्य के साबिक कृषि आराजी नम्बर 79/2 रकबा 3 बिस्वा आराजी नम्बर 84 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा मौजा ओछडी मे स्थित है जिसको रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की, जो रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी के खाते मे दर्ज है। उक्त कृषि भूमि के नवीन भू-प्रबन्ध के दौरान नवीन आराजी नम्बर 473 रकबा 0.60 हैक्टेयर दर्ज की गई जबकि नवीन नाप से 0.53 हैक्टेयर रकबा ही बनता है जिससे रेस्पोडेन्ट सं.1 प्रतिवादी के खाते मे 0.07 हैक्टेयर अधिक रकबा उक्त आराजीयात के उत्तर दिशा के पडौसी के खाते मे दर्ज कर दिया, व उत्तर दिशा के खातेदार भगवतीबाई की साबिक आराजी नम्बर 83 रकबा 1 बीघा भूमि जिसको प्रतिवादी सं. 1 रेस्पोडेन्ट ने पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था जो प्रतिवादी सं. 1 रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज है जिसको नवीन सेटलमेन्ट मे भू-प्रबन्ध विभाग वालो ने बिना किसी आधार व आदेश अवैधानिक रूप से आराजी नम्बर 472 रकबा 0.23 हैक्टेयर भूमि दर्ज कर दी गई जबकि पुराने नाप के अनुसार नये नाप मे रकबा 0.22 हैक्टेयर बनता है। प्रतिवादी सं. 1 रेस्पोडेन्ट के खाते मे 0.01 हैक्टेयर भूमि अधिक दर्ज हुई है। इसी अनुसार मोजा ओछडी की राजकीय भूमि साबिक आराजी नम्बर 78 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा स्थित रही है। जिसको भू-प्रबन्ध विभाग वालो ने भू-प्रबन्ध के दौरान नवीन आराजी नम्बर 469 रकबा 0.60 हैक्टेयर बिलानाम खाते मे दर्ज की जबकि पुराने नाप के अनुसार नये नाप मे उक्त भूमि का रकबा 0.52 हैक्टेयर बनता है जिससे बिलानाम राजकीय भूमि मे से 0.08 हैक्टेयर कृषि भूमि अपीलान्ट वादी पुनः अपने खातेदारी मे दर्ज कराने का अधिकारी है।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि भंवरलाल व किशनलाल से पंजीकृत विक्रय दिनांक 08.04.1993 से उक्त आराजीयात क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। उसी अनुसार प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। कोई रकबा प्रतिवादी सं. 1 के खाते मे दर्ज नही हुआ है। अपीलान्ट उक्त कृषि आराजीयात मे से रकबा 0.20 हैक्टेयर अपने खातेदारी मे दर्ज कराने का अधिकारी नही है। आराजी नम्बर 472 रकबा 0.23 हैक्टेयर प्यारचंद से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 08.04.1993 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तब से यह आराजी रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। रेकार्ड मे कृषि

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

भूमि का रकबा 0.23 हैक्टेयर सही अंकित है। अपीलान्ट वादी का वादपत्र म्याद बाहर है। अपीलान्ट वादी रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण से किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने का अधिकारी नही है। जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 28.02.2002 को गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट वादी का वादपत्र डिक्री किया गया जिस पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी ने न्यायालय हाजा मे अपील क्रमांक डिक्री 50/2002 प्रस्तुत की गई जो न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 20.09.2002 को अपील अपीलान्ट प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट सं. 1 निरस्त की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2002 यथावत रखा गया। उक्त निर्णय एवं डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे अपील क्रमांक 6899/2002/ टी.ए./चित्तौड़गढ़ प्रस्तुत की गई जो माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 28.05.2002 को आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2002 व न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.09.2002 निरस्त की जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नव निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित की गई जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना सुनवाई किये व बिना रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी की कोई साक्ष्य सबुत लिये अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को प्रमाणित होना नही मानते हुए निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित कर दी।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट वादी ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

इस न्यायालय मे अपीलान्ट वादी की ओर से प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट वादी ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए बहस मे निवेदन किया कि अपीलान्ट वादी ने मोजा ओछडी तहसील चित्तौड़गढ़ की साबिक आराजी नम्बर 79/1,80,81 कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा खातेदार रामा, दल्ला पिता चुना गाडरी निवासी ओछडी से पंजीकृत बहनामा दिनांक 10.06.1976 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया उसके पश्चात् भू-प्रबन्ध अधिकारियो ने मोजा ओछडी तहसील चित्तौड़गढ़ का भू-प्रबन्ध किया गया। भू-प्रबन्ध के तहत साबिक नम्बरान की तीनो कृषि आराजीयात के नवीन आराजी नम्बर 470 रकबा 1.05 हैक्टेयर कायम किया गया जबकि अपीलान्ट वादी ने साबिक रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा सेटलमेन्ट के पूर्व क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था जिससे नवीन सेटलमेन्ट मे अपीलान्ट वादी के द्वारा क्रयशुदा आराजी का रकबा 1.25 हैक्टेयर बनता है। भू-प्रबन्ध अधिकारियो ने बिना किसी अधिकार के

राजस्व अपील प्राधिकारी

अपीलान्ट वादी का रकबा 0.20 हैक्टेयर कम दर्ज दिया, जिसकी अपीलान्ट वादी नवीन आराजी नम्बर 472,473 व कृषि आराजी नम्बर 469 मे से रकबा बरारी कराने का अधिकारी था। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादी ने रकबा बरारी के लिये राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी नक्शा ट्रेस मिलान क्षैत्रफल मिलान खसरा प्रतिवादी का साबिक रेकार्ड नवीन रेकार्ड मौखिक बयान करवाकर अपने वादपत्र को प्रमाणित करवाया था जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 28.02.2002 को अपीलान्ट वादी का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए नवीन आराजी नम्बर 472 मे से 0.01 हैक्टेयर 473 मे से 0.07 हैक्टेयर भूमि जो उत्तर दिशा मे स्थित है। व आराजी नम्बर 469 मे से 0.07 हैक्टेयर भूमि पर अपीलान्ट वादी का रकबा बरारी होना प्रमाणित होने से डिक्री किया गया है। उक्त निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी ने न्यायालय हाजा मे प्रथम अपील क्रमांक डिक्री 50/2002 प्रस्तुत की जो न्यायालय हाजा के द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20.09.2002 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत होना मानते हुए निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है उसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी ने द्वितीय अपील राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायालय मे प्रस्तुत की जो अपील क्रमांक 6899/2002/टी.ए. /चित्तौड़गढ़ दर्ज रजिस्टर की जाकर दिनांक 28.05.2009 को निर्णित कर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को उसके द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2002 निरस्त किया जाकर सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित की गई। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण की ओर से किसी प्रकार की कोई साक्ष्य सबुत प्रस्तुत नही किया गया व उक्त पत्रावली मे बिना किसी साक्ष्य व सबुत के बहस सुनी जाकर नये सिरे से निर्णय पारित कर पूर्व मे प्रमाणित वादपत्र को निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अपीलान्ट वादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे आराजी नम्बर 472 व 473 मे से घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत किया है जबकि उक्त आराजी भू-प्रबन्ध के पश्चात् दिनांक 08.04.1993 को रेस्पोडेन्ट सं.1 प्रतिवादिया ने क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। धारा 88 के वादपत्र मे कब्जा आवश्यक है जिससे इन्होने दावे की कलम सं. 3 व 4 मे स्वीकार किया है कि आराजी नम्बर 472 व 473 पर प्रतिवादिया रेस्पोडेन्ट का कब्जा है। तहसीलदार ने जवाब पेश किया है। अपनी बहस मे यह भी निवेदन किया कि दावे के साथ आदेश 7 नियम 11 (5) के तहत दावे की द्वितीय प्रति पेश नही की है जिससे भी दावा चलने योग्य नही है। दावे के अन्तर्गत कब्जे के बारे मे कोई सहायता नही चाही गई है जिससे भी वादपत्र चलने योग्य नही है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी सदभावी क्रेता है। विवादित आराजीयात सेटलमेन्ट के पूर्व जिनके नाम दर्ज रही है उनको पक्षकार नही बनाया है। जिससे भी अपीलान्ट वादी का वादपत्र चलने योग्य नही है। कृषि आराजीयात बढकर मेरे खाते मे नही गई है। अपीलान्ट वादी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है। बहस के दौरान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2011 पार्ट-2 पेज 1170 आरआरडी 1999 पेज 143 प्रस्तुत कर अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 प्रतिवादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत होना बताते हुए अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व मौखिक साक्ष्य का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादी ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध भू-प्रबन्ध के दौरान 0.20 हैक्टेयर रकबा कम हो जाने से उक्त रकबे की कमी पूर्ति का वादपत्र रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया व वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उभयपक्षो के अभिवचनो के अनुसार तनकियात कायम की। उक्त तनकियात पर उभयपक्षो की साक्ष्य लिवाई जाकर अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र राजस्व रेकार्ड व मौखिक साक्ष्यो से प्रमाणित होना मानते हुए दिनांक 28.02.2002 को निर्णय व डिक्री किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने प्रथम अपील न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की गई जो अपील क्रमांक डिक्री 50/2002 दर्ज रजिस्टर की जाकर दिनांक 20.09.2002 को उभयपक्षो की उपस्थिति मे निर्णित की जाकर अस्वीकार की गई। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2002 को यथावत रखी गई। न्यायालय हाजा के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादिया ने द्वितीय अपील राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे अपीलान्ट वादी के विरूद्ध प्रस्तुत की जो अपील क्रमांक डिक्री 6899/2002/टी.ए./चित्तौड़गढ़ दर्ज रजिस्टर की जाकर उभयपक्षो को सुना जाकर दिनांक 28.05.2009 को निर्णित किया जाकर न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नव निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की गई जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा प्रतिप्रेषित आदेश की पालना मे पत्रावली दिनांक 15.06.2009 को सुनवाई हेतु पुनः दर्ज रजिस्टर की गई। उभयपक्षो की साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया। दिनांक 13.12.2011 को अपीलान्ट वादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना नही चाहने से साक्ष्य वादी अपीलान्ट बन्द की जाकर साक्ष्य प्रतिवादिया रेस्पोडेन्ट सं. 1 मे नियत हुई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादिया ने पूर्व मे पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर प्रतिप्रेषित करवाई गई थी जिससे प्रतिवादिया रेस्पोडेन्ट सं. 1 को अपना पक्ष रखा जाना न्यायोचित था। रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादिया की ओर से किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई व उभयपक्षो को सुना जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट वादी का वादपत्र प्रमाणित होना नही मानते हुए निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो स्वीकार योग्य नही है। अपीलान्ट वादी ने अपनी खरीदशुदा व कब्जे काश्त की आराजीयात जो वर्तमान मे पुरे रकबे पर काबिज है। भू-प्रबन्ध अधिकारियो ने अपीलान्ट वादी का रकबा भू-प्रबन्ध के दौरान कम किया जाकर पडौसी खातेदारान के खाते मे अधिक रकबा दर्ज किया है जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत न्याय व्यवस्था आरआरटी 2011 पार्ट-2 पेज 1170 आरआरडी 1999 पेज 143 का अवलोकन करवाया जो इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण पर चस्पा नही होकर अपीलान्ट वादी के द्वारा कब्जेयाबी की दाद नही चाहने से अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट वादी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ का प्रकरण संख्या 109/2009 वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 27.08.2012 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति मे विवादित कृषि आराजीयात की मौका रिपोर्ट मय राजस्व रेकार्ड के साथ तलब की जाकर पत्रावली का पुनः परीक्षण कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी की पालना करते हुए अजसरे, तनकीवार, नव निर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 21.12.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज0)